

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी इन्द्रपाल पुत्र श्री सुलतान राम के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में पटवार मण्डल शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ के चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 में खाता नं. 175/121 व 176/22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

स. नं.	पटवार मण्डल का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	शेरगढ	चक 13 एमकेएस की जमाबन्दी सम्बत 2070-2073 में खाता संख्या 175/121	सुलतान पुत्र गोपालराम जाति जाट सा. दौलतपुरा	सुलतान पुत्र गोपालराम जाति जाट सा. 7 एएम तहसील रावतसर

टिप्पणी :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 20-5-24

चक्र :- सम/ 313-315

निलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी इन्द्रपाल पुत्र श्री सुलतान राम सिंह जाति जाट निवासी 7 एएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया